

Topic :- "Sources of International Law."

(अन्तर्राष्ट्रीय कानून / विधि के स्रोत)

DR. Pankaj Kumar Jha  
Assistant Professor  
(Guest faculty / part time)  
Deptt. of Pol. Science,  
L.S. College, Muzaffarpur.  
Mob. 8210688019.

\* स्रोत का अर्थ (Meaning of Sources) : ⇒

'स्रोत' शब्द भूगोल का शब्द है, जिसका अर्थ होता है - किसी जगह का उद्गम स्थान। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि 'स्रोत' शब्द कानून का आगम (अर्थ) उद्गम अथवा प्रादुर्भाव होता है।

\* अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से अभिप्राय : (Meaning of the Sources of International Law) : ⇒

अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि के स्रोत से अभिप्राय उन विभिन्न तत्वों एवं कार्यों से है जो कानूनों के विकास (Development of Law) का कारण बनते हैं अर्थात् जिन तत्वों एवं कार्यों के बल पर कानूनों के विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, उसे ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आगम पर कहा जा सकता है कि कानून या विधि का स्रोत किसी समाज के ऐतिहासिक विकास के वे मूल तत्व हैं, जिसे इनका प्रादुर्भाव/उद्गम/उद्भव होता है और इसे कानूनी शक्ति प्राप्त होती है।

2

# अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून या विधि के स्रोत की परिभाषा : =>


(Definition of the sources of the International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के स्रोत के विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है जो निम्नवत् है —

— (1) जोसेफ़ ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि "अगर वह क़ानून के स्रोत का अर्थ क़ानून के आरम्भ से ले ले और उसे सभ्यता की शक्ति से प्राच्यकृत मानें तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में क़ानून का केवल एक ही स्रोत है, और वह है — 'राष्ट्रों की सहमति'। यह सहमति प्रकट या प्रलम्ब या हो सकती है और परोक्ष या अप्रलम्ब या। प्रकट या प्रलम्ब सहमति सन्धिपत्रों या अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखों द्वारा ही जाती है, जबकि परोक्ष या अप्रलम्ब सहमति अन्तर्राष्ट्रीय आचरण में स्निहित होती है।"

जोसेफ़ की उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण हम निम्नवित रूप में कर सकते हैं —

क़ानून का स्रोत (अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का स्रोत)



③ ② ओपेन हीम के अर्थों में, "कानून का स्रोत उस ऐतिहासिक राज्य का नाम है जिससे आचरण के नियम (Rule of Law) निकलते हैं, ये नियम अस्तित्व में आते हैं और कानूनी शक्ति प्राप्त करते हैं। राष्ट्रों की सामान्य इच्छा (General Interest) या General Law ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है।"

— ③ प्रियर्नी के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत रीति-रिवाज या विवेक हैं।"

— ④ एडवर्ड कार्लिनस के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों से देश अनिष्ट इन तरीकों या प्रक्रिया से हैं जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का जन्म होता है।"

— ⑤ फ्रेड ह्यार्क के अर्थों में, "अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत से व्यापक आशय उस वास्तविक सामग्री से है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधिवादी अन्तर्राष्ट्रीय अगड़ों के नियम आदि में प्रयोज्य करने के लिए प्रयुक्त करते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषणों पर हमें यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा कानून के स्रोतों के सम्बन्ध में विधिवेत्ताओं तथा विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। ओपेन हीम ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों में International Community का उल्लेख करते हुए कुछ-कुछ स्रोतों की चर्चा की है। इनके ने सामान्य रूप से स्वीकृत स्रोतों के अतिरिक्त एक अलग स्रोत का भी उल्लेख किया है।